

Case No. 600323 of 2016

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

मार्गदर्शक

Signature of
Parties of
pleaders who
Necessary

Proceedings
of the
10th

आज आरक्षी केन्द्र मो
 उपनिरीक्षक / प्रधान
 को 1087 द्वारा शान्त प्रगती की ओर अपराध
 को 146/14 अतर्गत धारा 34 अवकाश एवम् अधीन दण्डनीय
 भा0द0रा0 / अपराध के संग्रह में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०
श्री सुधीर सिंह सिक्कार उम०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण.....
डम ५८६

निवासी / निवासोपगण
 थाना श्री जिला राज्य मध्य प्रदेश अधिवक्ता
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से
 श्री द्वारा गोरखपुर / बकालतनागा प्रस्तुत
 किया।

अग्नियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार धारा 304(1) Cr.P.C. के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304(1) Cr.P.C. के अधीन दण्डनीति का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आगंतिक पंजी 6003 33/16 म 25

विष्णु गार्ग्य

अभिर्युक्त / अभिर्युक्तगण 2020-21 के द्वारा 201 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं प्रस्तावों के अनुमोदन एवं निशुल्क दिनांक

चूँकि मागला साक्षित विचारणीय है। अतः साक्षित विचारण प्राप्त किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 344 अन्वये (अनुच्छेद 344) के अन्तर्गत विचारित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक्य तथा संगत उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से दत्त करार कर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 800/- रुपये को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 5 बी.बी.डी. रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिलिपि उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class
Gohad District (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक कड 5624 रसीद 74 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class
Gohad District (M.P.)